**न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई**

**जमानत आवेदन संख्या–103 / 2026**

(परिवाद वाद संख्या 1209सी / 2014 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

**नईम मियाँ बनाम राज्य सरकार**

**आदेश**

**25.03.2026** 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **नईम मियाँ** उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता ईशाक मियाँ, साकिन बानपुर, थाना खैरा, जिला जमुई द्वारा परिवाद वाद संख्या संख्या 1209सी / 2014 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 एवं 336(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मुन्ना कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.01.2026 से काराधीन है।

2– अभियोजन का परिवाद केस संक्षेप में यह है कि दिनांक 02.10.2024 समय करीब 10 बजे दिन एवं दिनांक 20.10.2024 समय 03 बजे दिन की है। मुदालह नईम मियॉ की अपनी लड़की की शादी थी, जिस कारण नईम मियॉ ने वादिनी से अपने हिस्से की खास जमीन जिसका खाता संख्या 27 खेसरा संख्या 1482 अराजी सवा डिसमिल जमीन जो कि मौजा बानपुर थाना खैरा जिला जमुई में अवस्थित है। जमीन को वादिनी को देने की बात किया जिसका कुल जरसम्मन 1,40,000 / –रूपया रखा गया, जिसके कारण वादिनी के उपर्युक्त प्लॉट को सवा चार डिसमिल जमीन का 1,40,000 / –रूपया मुदालह नईम मियॉ को दिनांक 02.10.2024 को इसके दोनों पुत्र जो इस वाद के मुदालहगण है, जिसके सामने एवं गवाहों के समक्ष दे दिया तथा जनवरी से फरवरी, 2024 तक नईम मियॉ वादिनी को जमीन लिखने की बात किया गया, जिसका एक एकरारनामा जमुई न्यायालय में दिनांक 03.10.2024 को मुदालह नईम मियॉ ने वादिनी के पक्ष में बना कर दे दिया। एकरारनामा की अवधि पूर्ण होने पर वादिनी ने कई बार मुदालह से जमीन रजिस्ट्री करने को बात कहा किन्तु हर बार टाल मटोल करते रहे, जिसके कारण वादिनी ने वकालतन नोटिश भी मुदालह नईम मियॉ को भेजा फिर भी मुदालह ने न तो वादिनी को रूपया वापस किया और नहीं जमीन रजिस्ट्री कर रहा है। अंतरिम बार वादिनी अपने गवाहों के समक्ष दिनांक 20.10.2024 को मुदालह के घर गई जिसपर सभी मुदालहगण वादिनी को गाली गलौज करने लगा तथा साड़ी साया पकड़कर एवं मारपीट कर भाग दिया और कहने लगा कि इस तरह का एकरारनामा रोज बनता है और फाड़ दिया जाता है। एकरारनामा बनने से क्या होगा न तो तुम्हारा रूपया देंगे और नहीं जमीन रजिस्ट्री करेंगे, जो करना है करो, वादिनी कहने लगी कि आप मेरे साथ धोखा से जमीन देने के बात पर 1,40,000 / – रूपया लिया, इस पर मुदालहगण धक्का–मुक्की करके भगा दिया। मुदालह साजिश रचकर वादिनी से 1,40,000 / – रूपया व जमीन देने के नाम पर ढग लिया।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए मौखिक निवेदन करते है कि वाद के समझौता हेतु लोक अदालत, जमुई में भेजा जाय।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन को समझौता हेतु लोक अदालत, जमुई में भेजने का विरोध नहीं करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक परिवाद वाद में नामजद अभियुक्त है तथा परिवाद वाद में धारा 115(2), 352 एवं 336(3) बी0एन0एस0 के अनतर्गत दिनांक 29.01.2026 को न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम,

**लगातार.....**

**न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई**

**जमानत आवेदन संख्या–103 / 2026**

(परिवाद वाद संख्या 1209सी / 2014 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

**नईम मियाँ बनाम राज्य सरकार**

**–लगातार–**
**25.03.2026**

श्रेणी, जमुई के न्यायालय में संज्ञान किया गया है। आवेदक दिनांक 25.01.2026 से कारा में संसीमित है।

आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन का सम्पूर्ण अभिलेख लोक अदालत, जमुई में मध्यस्थता हेतु दिनांक 09.03.2026 के आदेश से भेजा गया। लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौता के पश्चात् इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। लोक अदालत के आदेश फलक में उल्लिखित है कि दिनांक 23.03.2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय के न्यायालय से मध्यस्थता सह सुलह केन्द्र में अभिलेख आया, पक्षगण आपस में सुलहनामा पत्र दाखिल किया। सुलहनामा आवेदन के अनुसार पक्षगणों के बीच सुलह की बात को मध्यस्थ के समक्ष स्वीकार किया, सुलहनामा आवेदन व पक्षगणों की सहमति के आधार पर अभिलेख को न्यायालय में वापस किया गया। पक्षगणों का हस्ताक्षर भी लिया गया। विपक्षी कारागार में है, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख का अवलोकनोपरांत तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में लोक अदालत के मध्यस्था केन्द्र में समझौता होने के आधार पर आवेदक को 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

**लेखापित**

**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई**

मेमो नं.–..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारितः–मो0 / श्री एहसान रसीद, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम् श्रेणी, जमुई।

**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई।**